UPBS040198902022

न्यायालय JM-FTC Crime Against Women, Basti

पीठासीन अधिकारी– (PIYUSH KUMAR) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04690**

परिवाद सं – Warrant or Summons Criminal Case/87320/2024

Sarita Devi Vs. Aasutosh Shukla

धारा - 323, 504, 506, 147 भा०दं०सं०

थाना – महिला, जिला–बस्ती।

दिनांकः 09–05–2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। वादी मुकदमा अनुपस्थित है। वादी मुकदमा की ओर से न तो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी पर तामीला पर्याप्त है। परन्तु वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है एवं न ही उसके परिवार का कोई सदस्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अन्तिम आख्या के विरुद्ध प्रोटेस्ट दाखिल नहीं करना चाहता है तथा अन्तिम आख्या को स्वीकार कराना चाहता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा साक्ष्य के अभाव में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। न्यायालय द्वारा वादी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है, परन्तु उसके द्वारा कोई प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है। विधि व्यवस्था ***Pradeep Kumar Srivastava Vs. State of U.P & Others (Criminal Mis. No.2520/2012)*** में माननीय उच न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जिन वादों में वादी मुकदमा पर नोटिस तामील हो गया हो, उनमें न्यायालय ज्यादा समय तक वादी मुकदमा का इन्तजार नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि अंतिम पत्र प्रेषित करने के उपरान्त तीन माह की अवधि निस्तारण करने की उचित अवधि है और अंतिम पत्र के विविध वादों को प्राथमिकता देते हुए निस्तारित करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु०अ०सं०–0026/2023, **धारा –** 323, 504, 506, 147 **भा०दं०सं०** में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या दिनांकित 13–04–2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पीयूष कुमार)
न्यायिक दण्डाधिकारी/त्वरित गति न्यायालय
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), बस्ती।